



अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
(वित्त मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्तशासी संस्था)
सेक्टर - 48, पाली रोड, फरीदाबाद - 121001 (हरियाणा) भारत

अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (अ.जे.रा.वि.प्र.सं.) भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्था है।

अ.जे.रा.वि.प्र.सं. अपने कैंपस में निम्न कार्यों/सेवाओं (पूर्णतया संविदा पर) हेतु आवेदन आमंत्रित करता है:

कार्य/सेवा	आवश्यकता	शैक्षणिक योग्यता
शारीरिक अनुदेशक/ स्पोर्ट्स कोच	01	किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक प्रशिक्षण में B.P.Ed या सर्टिफिकेट या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से जिम प्रशिक्षण में प्रमाण पत्र
		कार्य:- प्रातः एवं सांय काल को दो-दो घंटे संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान करना
योगा अध्यापक	01	योग पाठ्यक्रम में डिप्लोमा / सर्टिफिकेट।
		कार्य: प्रातः काल एक घंटे संस्थान में योग की कक्षा।

अनुभव और वांछनीय

1. अच्छी व्यक्तिगत फिटनेस
2. किसी भी प्रतिष्ठित संगठन से दो साल का कोचिंग का अनुभव

आयु सीमा

उपरलिखित कार्यों/सेवाओं के लिये उम्र की ऊपरी सीमा 45 साल है लेकिन शैक्षिक योग्यता और संगत क्षेत्र में अनुभव को देखते हुए उपयुक्त अभ्यर्थी को आयु सीमा में छूट दी जा सकती है।

उपरलिखित कार्यों/सेवाओं के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख दिनांक **21-03-2022** है।

परिलब्धियां/एमोलुमेंट्स

1. शारीरिक अनुदेशक/स्पोर्ट्स कोच के लिए ₹ 15000/- प्रति माह नियत (Fixed) है।
2. योग अध्यापक के लिए ₹ 8000/- प्रति माह नियत (Fixed) है।

योग्य उम्मीदवार अपने आवेदन के साथ योग्यता/अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, फरीदाबाद-121001 को दिनांक 21-03-2022 तक भेज सकते हैं।

नियम और शर्तें:-

1. चयनित उम्मीदवारों को सप्ताह में 5 दिन में (सोमवार से शुक्रवार) उपरोक्त समयनुसार संस्थान में अपनी सेवाएँ देनी होंगी, जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
2. नियुक्ति की अवधि कार्य शुरू करने की दिनांक से शुरू में तीन महीने की अवधि के लिए होगी जिसे संतोषजनक प्रदर्शन पर बढ़ाया जा सकता है। कार्यो एवं सेवाओं को किसी भी समय बिना कारण बताएं समाप्त किया जा सकता है।
3. चयनित उम्मीदवारों द्वारा (अ.जे.रा.वि.प्र.सं.) में नियमित नियुक्ति के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।
4. कार्यो/सेवाओं को बिना किसी कारण बताएं किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अ.जे.रा.वि.प्र.सं. में स्पोर्ट्स कोच/योग अध्यापक को अपने कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान हुई किसी भी क्षति/हानि के लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

(मुख्य प्रशासनिक अधिकारी)